भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1626

30.07.2025 को उत्तर देने के लिए

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

1626. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वर्तमान में गिग और प्लेटफॉर्म-आधारित कामगारों जैसे कि खाद्य वितरण एजेंट, कैब चालक, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कर्मचारी और फ्रीलांस डिजिटल कामगारों से संबंधित रोजगार डेटा एकत्र करता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने शहरी रोजगार के बढ़ते अनौपचारिकीकरण और डिजिटलीकरण से उत्पन्न सांख्यिकीय अंतर का आकलन करने के लिए कोई समीक्षा या विशेषज्ञ परामर्श किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्लेटफॉर्म-मध्यस्थ, कार्य-आधारित और ऐप पर निर्भर कार्य स्वरूपों की स्पष्ट रूप से पहचान करने के लिए पीएलएफएस सर्वेक्षण उपकरणों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कामगारों से संबंधित पृथक डेटा की अनुपलब्धता ने उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और विनियमन तैयार करने की सरकार की क्षमता को प्रभावित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य के श्रम सर्वेक्षणों में गिग/प्लेटफॉर्म रोजगार को शामिल करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां.और.कार्य.कार्या.मंत्रा.) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) देश में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है। पीएलएफएस में एकत्रित जानकारी के आधार पर, श्रम बल संकेतक, अर्थात, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), बेरोजगारी दर (यूआर), रोजगार में स्थिति के अनुसार श्रमिकों का वितरण (स्व-नियोजित, नियमित मजदूरी / वेतनभोगी, आकस्मिक श्रमिक), उद्योग द्वारा (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) के अनुसार) और कार्य का व्यवसाय (व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनसीओ)) आदि पीएलएफएस प्रकाशनों के माध्यम से सामने लाए जाते हैं। पीएलएफएस में, 'गिग और प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों' के रूप में कार्यरत व्यक्तियों की विशेष रूप से पहचान नहीं की जाती है। तथापि, सभी बाजार कार्यकलापों अर्थात् भुगतान या लाभ के लिए किए गए कार्यकलापों, जिनके परिणामस्वरूप विनिमय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन्हें पीएलएफएस में आर्थिक कार्यकलाप के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। पीएलएफएस में, यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान कार्यरत पाया जाता हैं या किसी आर्थिक कार्यकलाप संलग्न है, तो कार्यकलाप की स्थिति को रोजगार से जोडा जाता है । इसलिए, वेतन और लाभ के लिए 'गिग और प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों' के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को भी पीएलएफएस में शामिल किया गया है।

(ख): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, देश में गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है।

(ग): पीएलएफएस में अवधारणाओं और परिभाषाओं को विभिन्न मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है और श्रम सांख्यिकी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में किया जाता है ताकि देश के संदर्भ में उनकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता का आकलन किया जा सके। तथापि, आज की तारीख में, पीएलएफएस सर्वेक्षण उपकरणों को संशोधित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कि प्लेटफॉर्म-मध्यस्थ, कार्य-आधारित और ऐप-निर्भर कार्य के रूपों की स्पष्ट पहचान की जा सके।

(घ): पहली बार, 'गिग श्रमिकों' और 'प्लेटफॉर्म श्रमिकों' की परिभाषा और उससे संबंधित

प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, वर्ष 2020 में प्रदान किए गए हैं, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। संहिता में जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी बजट घोषणा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (प्लेटफॉर्म श्रमिकों) के गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए कई प्रमुख उपायों की घोषणा की है, जैसे ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ का विस्तार।

(ड़): पीएलएफएस में गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों की अलग से पहचान करने की व्यवहार्यता वर्तमान में एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****